भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1738
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

एएमएएसआर अधिनियम

1738. श्री आदित्य यादव:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर) (2010 में संशोधित) की परिरक्षण हेतु स्मारक की पहचान करने के संबंध में न तो कोई सुस्पष्ट परिभाषा है और न ही कोई प्रक्रिया है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रमुख मुद्दे का समाधान करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 2, अधिनियम में उल्लखित विभिन्न शब्दों की परिभाषा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, परिरक्षण के लिए स्मारकों की पहचान करने हेतु संरक्षित स्मारकों का नियमित निरीक्षण किया जाता है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार उपलब्ध संसाधनों के अंदर वार्षिक संरक्षण योजनाएं बनायी जाती हैं।

*****